न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/98/2018	06–08–2018	02–09–2019

1– पूर्ण चन्द पुत्र श्री रामधन जाति जाट निवासी ग्रम भांखरवाला तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।
2– श्रीमति सूरजी पत्नी श्री छीतर जाट जाति जाट निवासी ग्राम भांखरवाला तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
3– श्रीमति हरबाई पत्नी श्री रामधन जाति जाट निवासी
4– दिलीप सिंह पुत्र श्री
5– उर्मिला देवी पुत्री श्री
6– भारतीय स्टेट बैंक (पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर) शाखा ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर इंतकाल संख्या 596 वाके ग्राम रामपुर दिनांक 11.05.2018

उपस्थितः–
01. श्री आर पी यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री अनिल गुप्ता –वकील रैस्पो. 2

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 11.05.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 596 वाके ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2154 रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित है जो आराजी अपीलार्थी व रैस्पो0 3 लगा0 5 की खातेदारी काश्तकारी आराजी है। उपरोक्त आराजी का 25/155 हिस्से की आराजी को अपीलार्थी व रैस्पो. सं. 4 व 5 के पिता तथा रैस्पो. 3 के पति रामधन द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 19.06.2006 से रैस्पो. 2 को विक्रय कर दिया। उक्त बयनामें को निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बानसूर के यहां वाद पेश किया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2015 को खारिज फरमाया गया। जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की गई, जो विचाराधीन है। उपरोक्त आराजी रैस्पो0 6 के यहां रहन दर्ज है। उपरोक्त आराजी माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने तथा रैस्पो0 6 के यहां रहन होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल सं. 596 दिनांक 11.05.2018 स्वीकृत फरमाया गया। आक्षेपित आदेश पारित करते समय अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

न्यायालय द्वारा ज्यूडिशियल माइंड एप्लाई नहीं किया गया तथा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी रैस्पो0 6 के पास रहन है। जिसका अंकन इंतकाल सं. 596 के खाना सं. 7 में दर्ज है तथा खाना सं. 9 में बेचान कर्ता के हिस्से को बैंक के पास रहन को छोडते हुए अवैध रूप से अंकन किया गया है। उक्त आराजी के रहन फक होने से पूर्व किसी भी हिस्से का विक्रय नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के 25/155 हिस्से को रैस्पो0 2 के नाम से खिलाफ कानून दर्ज किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे के बारे में मौके की कोई जांच नहीं की गयी। हल्का पटवारी द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर मनमाने तरीके से मौके पर केता रैस्पो0 2 का कब्जा अंकित किया है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि इंतकाल सं0 596 जो पटवारी द्वारा भरकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, उसमें खाना सं. 14 में माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय बानसूर के आदेश दिनांक 29.11.2015 का अंकन किया हुआ है। जिसमें किसी भी आराजी की बाबत हुए बयनामे की कोई सिविल वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण खरीददार के नाम राजस्व रिकॉर्ड इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंतकाल प्रक्रिया सम्मरी प्रोसिडिंग की तारीफ में आती है। कोई भी सम्मरी प्रोसिडिंग किसी सिविल वाद के चलने के दौरान स्थगित रहती है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व गिरदावर द्वारा इंतकाल पर मात्र यह नोट अंकित किया है कि मिलान किया गया। जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त मिलान किस रिकॉर्ड से किया गया, का कोई अंकन नहीं किया गया है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय बानसूर के निर्णय दि. 29.11.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। जो एक सिविल वाद की तारीफ में आती है। जिससे रैस्पो0 2 अपील के विचाराधीन रहने के दौरान बयनामा दिनांक 19.06.2006 के आधार पर उपरोक्त आराजी के 25/155 हिस्से को इंतकाल में अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी नहीं थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से व उनके कर्मचारियों से मिल्लत कर उक्त इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया गया। रैस्पो. 2 दिनांक 30.07.2018 को मौके पर आई तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2018 की प्रति दिखाते हुए कहां कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायायलय के यहां से अपने नाम का इंतकाल दर्ज करा लिया है तथा वह अपने हिस्से की आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–बय वगैराह से मुन्तकिल करेगी। उक्त आराजी बाबत बयनामा दिनांक 19.06.2006 की बाबत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा वकील साहब से सलाह मशुअरा किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2018 को आक्षेपित आदेश की सत्यप्रति प्राप्त की गयी तथा अन्दर मियाद अपील पेश की गयी। दिनांक 11.05.2018 से दिनांक 30.07.2018 तक को हुई देरी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा.पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 11.05.2018 इंतकाल सं. 596 अपास्त फरमाया जावें। वकील अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 243, आरआरडी 1999 पेज 232, आरआरडी 2001 पेज 57, आरआरडी 1998 पेज 254 एवं आरआरडी 1992 पेज 304 पेश किये है।

विद्वान वकील रैस्पो0 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार रामधन हैं जिसे अपनी खातेदारी आराजी बेचने का पूर्ण अधिकार है। बयनामे के इंतकाल में मौका/कब्जा रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश बानसूर ने प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया। बेचान करने के बाद विक्रेता द्वारा विवादित आराजी को बैंक में रहन कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें। वकील रेस्पो0 2 ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2012 1 पेज 374, आरआरटी 2008 2 पेज 936 पेश किये है।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 06.08.2018 को पेश किया। जो करीब 3

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। इंतकाल सं. 150 दि0 20.04.2011 व इंतकाल सं. 596 दि0 11.05.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इंतकाल सं. 150 दि. 20.04.2011 मृतक रामधन के वारिसान के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है। रैस्पो0 2 के नाम बयनामा दि. 19.06.2006 का है। जिसके बाद विरासत का इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल में रामधन की आराजी बैंक एसबीबीजे रामपुर में रहन है। बैंक में रहन आराजी का इंतकाल बिना रहन फक हुए क्रेता के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता तथा जब सिविल वाद विचाराधीन हो तो भी इंतकाल की कार्यवाही नहीं की जा सकती। उक्त संबंध में वकील अपीलांट द्वारा पेश नजिरे आरआरडी 2003 पेज 243, आरआरडी 1999 पेज 232, आरआरडी 2001 पेज 57, आरआरडी 1998 पेज 254 एवं आरआरडी 1992 पेज 304 प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि इंतकाल सं. 596 दि. 11.05.2018 को निरस्त किया जावें तथा सिविल वाद के अंतिम निर्णय होने तक इंतकाल की अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/9/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)